न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(शिवचरण मीना,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः— 59 / 2009

प्रविष्टि दिनांकः— 07.10.2009

रामरतन पुत्र घासी जाति जाट निवासी गनवर तहसील मालपुरा जिला टोंक राज.

.... अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक राज.

.... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार मालपुरा दिनांक 24.08.2009 मिसल संख्या 249 / 2009

उपस्थितः (1) श्री परशुराम चौधरी, अभिभाषक अपीलाण्ट
(2) श्री चन्द्रशेखर जी, पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 23.06.2023

संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि तहसीलदार मालपुरा ने अपने आदेश दिनांक 24.08.2009 द्वारा अपीलांट को भूमि खसरा नम्बर 2380 / 1 रकबा 6.14 बीघा वाके ग्राम गनवर तहसील मालपुरा पर अतिक्रमी मानकर 90 दिवस के सिविल कारावास व लगान राशि 6.00 रूपये का 50 गुना पेनल्टी जुर्माना राशि 300 / — रूपये आरोपित कर अपीलांट को भूमि से बेदखल किए जाने का निर्णय पारित किया है। इस निर्णय को विधि विधान एवं तथ्यों के विपरीत बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

प्रकरण मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार मालपुरा ने उक्त निर्णय अपीलान्ट की अदम मौजूदगी में दिया है व एकतरफा कार्यवाही की गयी हैं। अपीलान्ट अतिचारी नहीं है। खसरा नम्बर 2380 रकबा 13 बीघा 0.9 बिस्वा रामस्वरूप मांगी लाल गूर्जर की खातेदारी में था उससे जरिये रिजस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलान्ट ने दिनांक 03.10.1979 को 6.14 बीघा भूमि खरीद की इसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांट के हक में अमल हो गया और खातेदारी लग गयी। धारा 82 लेण्ड रेवेन्यू

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

एक्ट के तहत रेफरेन्स करने पर उक्त आराजी अपीलांट की खातेदारी से सिवायचक में अंकित कर दी गई इस संबंध में कानाराम व इनके भाई रामरतन ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के यहां पर अपील कर रखी है जो अभी लम्बित है और माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के वहां से पहले स्थगन आदेश जारी है। अपीलांट सद्भावी केता है रामस्वरूप के हक में आवंटन आदेश है। उसके आधार पर गैर खातेदारी का इन्द्राज रामस्वरूप के हक में है। बेचान के बाद में नामान्तकरण की कार्यवाही हुई जिसके संबंध में माननीय न्यायालय में प्रकरण चला और उसमें राजीनामा हो गया और उसके बाद अपीलान्ट के हक में राजस्व रिकार्ड में अमल हो गया।

जब प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के यहां विचाराधीन है और वहां से स्थगन आदेश है ऐसी स्थिति में तहसीलदार मालपुरा को उक्त निर्णय पारित करने का अधिकार नहीं है क्योंकि अपीलान्ट इस पर केता की हैसियत से काबिज है। उक्त निर्णय दिनांक 24.08.2009 को अपीलांट की गैर मौजूदगी में दिया गया है। निर्णय देने के बाद में अपीलांट को सूचित भी नहीं किया गया है। दिनांक 16.09.2009 को पटवारी हल्का से मुझे इसकी जानकारी हुई जिस पर अपीलांट ने दिनांक 17.09.2009 को आवेदन पेश किया जिसकी नकल दिनांक 29.09.2009 को मिली । अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय तहसीलदार मालपुरा दिनांक 24.08.2009 प्रकरण संख्या 246/2009 सरकार बनाम रामरतन को अपास्त फरमाया जावें।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है व अपीलांट कैम्प में उपस्थित रहा है। अतिक्रमी ने खसरा नम्बर 2380/1 रकबा 6.14 बीघा पर जोत व फसल ज्वार सम्वत 2066 खरीफ में किस्म बारानी–3 भूमि पर फसल काश्त कर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। अतिक्रमी का गत वर्ष सम्वत 2065 में भी अतिक्रमण रहा है जिसके साक्ष्य में पी. 14 की नकल शामिल पत्रावली है जिससे सिद्ध है कि अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अतिक्रमी सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अपील अपीलांट खारिज की जावें।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस को सुना एवं मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है तथा अपीलाण्ट कैम्प गनवर मे उपस्थित हुआ है। अपीलान्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे उसका भूमि पर कब्जा वैध माना जा सके। अतिक्रमी ने खसरा नम्बर 2380/1 रकबा 6.14 बीघा पर जोत व फसल ज्वार सम्वत 2066 खरीफ में किस्म बारानी–3 भूमि पर फसल काश्त कर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। अतिक्रमी का गत वर्ष सम्वत 2065 में भी अतिक्रमण रहा है जिसके साक्ष्य में पी. 14 की नकल शामिल पत्रावली है जिससे सिद्ध है कि अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। दौराने बहस अपीलान्ट के अभिभाषक ने प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में स्थगन होना बताया है, इस संबंध में तहसीलदार मालपुरा से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार मालपुरा द्वारा पत्र क्रमांक राजस्व/2022/1253 दिनांक 21.03.2022 से रिपोर्ट प्रेषित की है। रिपोर्ट के साथ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के प्रकरण संख्या 2008/10354 की आदेशिका की प्रमाणित छायाप्रति जारी दिनांक 16.03.2022 प्रेषित की है जिसमें विवादित भूमि

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

खसरा नम्बर 2380/1 रकबा 6.14 बीघा वाके ग्राम गनवर की भूमि के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका स्थिति यथावत रखने के आदेश पारित होना बताया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार मालपुरा द्वारा अपीलांट को दी गई 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, तहसीलदार मालपुरा का शेष निर्णय दिनांक 24.08.2009 माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के प्रकरण संख्या 2008/10354 उनवान रामरतन पुत्र घासीराम वगै. बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक के निर्णय के अधीन रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवचरण मीना)
अति.जिला कलेक्टर,टोक